अध्याय — पृष्ठ

41. **भारत में तकनीकी एवं प्रबन्धकीय प्रशिक्षण सुविधाएँ** 591—6
[प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव; योजना-काल में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि; इन्जीनियरों की अतिरिक्त माँग एवं पूर्ति के अनुमान; इन्जीनियरिंग संस्थाओं की संख्या एवं प्रवेश-क्षमता में वृद्धि; उपलब्ध इन्जीनियरों की संख्या में वृद्धि। प्रबन्धकीय प्रशिक्षण का विकास; निचले स्तरों पर औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ—शिल्पियों का प्रशिक्षण; शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम।]

42. **राज्य द्वारा उद्योगों का नियमन एवं नियन्त्रण** 601—61
[औद्योगिक विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका; राज्य की भूमिका के लिए प्रेरणात्मक परिस्थितियाँ; राजकीय नियमन एवं नियन्त्रण के उद्देश्य; नियमन एवं नियन्त्रण के विभिन्न स्वरूप एवं तरीके—प्रत्यक्ष सहायता, उपरि-सुविधाओं (infra-structure) का निर्माण; वैधानिक नियन्त्रण; श्रम-विधान; सार्वजनिक उपक्रम; राष्ट्रीयकरण।
उद्योगों का सामाजिक दायित्व; मिश्रित अर्थव्यवस्था—सार्वजनिक क्षेत्र, निजी-क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector), राष्ट्रीय-क्षेत्र (National Sector)।]

43. **औद्योगिक विपणन एवं निर्यात संवर्धन** 618—62
[विपणन-प्रबन्ध का महत्व; बाजारों का वर्गीकरण; उपभोक्ता वस्तुओं एवं औद्योगिक वस्तुओं की विशेषताएँ; विपणन की व्यूह रचना; भारत में औद्योगिक विपणन; औद्योगिक विपणन एवं राज्य की भूमिका; निर्यात संवर्धन के प्रयत्न; राज्य व्यापार निगम (STC) एवं खनिज एवं धातु व्यापार निगम (MMTC)]

44. **औद्योगिक नियोजन एवं विकास** 629—655
[अल्प विकास एवं औद्योगिक नियोजन; औद्योगिक नियोजन के उद्देश्य; नियोजन की कूट-नीति (Strategy)—कृषि बनाम औद्योगिक नियोजन, पूँजी प्रधान एवं श्रम-प्रधान; सन्तुलित एवं असन्तुलित विकास। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास; **चतुर्थ योजना** में उद्योगों की धीमी प्रगति के कारण; **पाँचवीं योजना** में औद्योगिक विकास के उद्देश्य।
अनवरत नियोजन (Rolling Planning)
औद्योगिक नियोजन की अवधि में संरचनात्मक परिवर्तन।]

45. **भारत के प्रमुख विशाल उद्योग** 656—726
[सूती वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग; जूट उद्योग, चीनी उद्योग; कोयला उद्योग; तेल शोधन उद्योग; रासायनिक उर्वरक उद्योग; अल्यूमीनियम उद्योग; कागज उद्योग; सीमेण्ट उद्योग।]

परिशिष्ट—जनता सरकार की हाल में घोषित आर्थिक एवं औद्योगिक नीति। (i—vi)